

F-21-44/2016/बी-1/दो

-1.

विषय : - रिट पिपीशन नुमांक 8223/2015  
दुर्गापुरी हनुमंतरहित कोषी विवाद -  
मुल्तमहसिल 65 बीमी

अ विभाग

पं० नं० 970/16/बी-1/दो

P-1/C

दुर्गापुरी वि.प. वि. के माहमूर  
के - यादव म.क. नं० - 8223/15  
दुर्गापुरी हनुमंतरहित कोषी विवाद  
केस नं० 65 बीमी के माहमूर प्रत्युत की  
गयी है।

अ - नरेंद्र शास्त्री उक्त म.क. नं०  
8223/15 दुर्गापुरी हनुमंतरहित कोषी  
विवाद शास्त्री के केस नं० 65 बीमी  
को प्रभारी अधिकारी निम्न को  
है प्रभारी का प्रत्युत की गयी है।  
प्रत्युत।

"A"

दीर्घा (कदम)

न/म/ "A" अनुमोदनार्थी

11/2/16

10/2/16

273/05/11/16  
26-2-16

प.प. (5)

प.प.

50/15-1

26-2-16

26-2-16

27-2-16

जांचक नं० 1133/34  
दिनांक 29/2/16



2

छब्बीस-२ सचिवालय

F. 21-54/16/मीन/६

विषय : - रिट पिटी. क्र. - ४२२१/१५ द्वारा  
उनी हउकंफिर मोनी-विश्व कुलमनि  
म.५-४११५- ७५२५)

विभाग

देखें ६६६:-

यस्य के यानी देखिकारी  
की निम्न के क्रोडस मंत्री कर दिनेगें  
हैं। उरिदक्ष क्रोडस हउ नानी विविकिमा  
के मंत्रित करार प्रभावित है।

देखें (पदस्थ)  
पुस (म)

०१/३/१६

२९/३/१६  
१३.१६

D-5/5

देवर सचिव (विधि)

२९/३/१६  
मध्य प्रदेश शासन,  
गृह (बी) विभाग  
मंत्रालय, भोपाल.

273/25/4/16  
14/3/16

U.O. No. 60  
15/3/16  
13/11/200

२१९

7763

BY. REGD. A.D. POST

IN THE High Court of Judicature at Jabalpur: Bench at Indore

2

Process Id: 78044/2015

WP/8223/2015

From

Deputy Registrar,  
High Court of Judicature  
at Indore

नवम्बर प्रवेश दायता  
सामान्य प्रशासन विभाग  
पं. नं. 245... 2016/118  
दिनांक 20/01/16

Against Admission  
Fixed for 21-01-2016  
WP-DA-4  
Respondent No. 1

R  
श्री नेमा  
Sole  
19-1-16

To,

The State of Madhya Pradesh,  
Through Chief Secretary,  
Govt. of M.P. Bhopal,  
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

160  
06-01-16

Indore 12-12-2015

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition (Mandamus/Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/8223/ 2015

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Durga Minor** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/8223/2015

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **21-01-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided ex parte.

(Seal of the Court)  
Encl: Copy of Petition

Your's faithfully

17.12.15

DEPUTY REGISTRAR



31/01/16



(27)

**मध्यप्रदेश शासन  
गृह(पुलिस)विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

---आदेश---

भोपाल, दिनांक 29 / 02 / 2016


क्रमांक एफ. 21-44/2016/बी-1/दो, सिविल प्रक्रिया संहिता 1988(1988) का अधिनियम संख्या-5 के आदेश सत्ताईस के नियम 01 तथा 02 अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला इंदौर, म.प्र. को डब्ल्यू.पी. क. 8223/2015 दुर्गा पुत्री हनुमंत सिंह लोधी विरुद्ध मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन एवं अन्य में मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने आवेदन संज्ञात होने के लिये नियुक्ति करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है, कि मध्यप्रदेश में विधि और विधायी कार्य-विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसा नीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा-

- (1) प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसा जांच करेगा, जैसा कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये ऐसा अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनमें कि मामलों के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय महाधिवक्ता को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उसे विभाग की राय भी रिपोर्ट विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।
- (2) समस्त सुसंगत, फाइलों, दस्तावेज, नियम, अधिसूचना आदेश एकत्रित करेगा।
- (3) वादपत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं के पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिसमें कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (5) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।
- (6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात पत्र भेजेगा :
  - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की ओर रिपोर्ट।
  - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
  - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
  - (घ) मामलों विदरीकरणों के लिये आवश्यक कागजात पत्रों की प्रतियां वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होना चाहिए।
- (7) मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग और मामले में उसके प्रक्रिया और प्रगति नियत किये गये कर्तव्यों को सदैव अवगत रखना।
- (8) जब भी कोई आदेश निर्णय विशिष्टता मध्यप्रदेश के विरुद्ध पारित किया जाता है, तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या कार्य दिवस को आवेदन करना



- (9) प्रगति रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिये इस विभाग को भेजेंगे।
- (10) यह देखना कि आवेदन करने में तथ्य प्रमाणित प्रतियों को प्राप्त करने रिपोर्ट, बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट न हो
- (11) जैसे ही उसे अपनी स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है, वह अर्द्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। यदि वर्तमान पदभार सौंप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्ति नहीं कर दिया जावे।
- (12) प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता की हर संभव सहयोग देगा कि तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकट/छुपा नहीं रह जाये।
- (13) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है, तो वह जैसे ही वाद को विनिश्चित होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति भी प्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजा जाये।
- (14) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है, तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में किसी वाद में प्रक्रम में पारित किये गये किसी अंतरिम पुनरीक्षण अपेक्षित है तथा वाद पर कार्यवाही की गई है। अतएव उसकी प्रति जैसे ही वह पारित किया जाकर विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम  
तथा आदेशानुसार


  
(डी०एस०मुकाती)  
अवर सचिव

म०प्र०शासन, गृह विभाग

भोपाल, दिनांक 29/02/2016

पृ०क० एफ. 21-44/2016/बी-1/दो,  
प्रतिलिपि:-

- 1- महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मान० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर, म.प्र.,
  - 2- प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
  - 3- पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, पुलिस मुख्यालय, भोपाल,
  - 4- जिला दण्डाधिकारी, जिला इंदौर, म.प्र.
  - 5- पुलिस अधीक्षक, जिला इंदौर, म.प्र.,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 6- अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला-इंदौर म.प्र. एवं एवं प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित।  
कृपया शासकीय अधिवक्ता से संपर्क स्थापित कर प्रकरण में प्रतिरक्षण की कार्यवाही करने एवं प्रकरण से मुख्य सचिव, म.प्र.शासन का नाम विलोपित करने की कार्यवाही सुनिश्चित कर, की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत करायें।

  
अवर सचिव  
म०प्र०शासन, गृह विभाग